

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2016—श्रावण 28, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्र. ई-1-243-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारियों को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय पदस्थ किया गया है, को आगामी आदेश तक उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए विभाग में पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विभाग का नाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री नरेन्द्र सिंह परमार (2004), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.

(1)	(2)	(3)
2	श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे (2004) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.
3	श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्र. ई-1-2-2012-5-एक (ए-3).—श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे (2003) अपर कलेक्टर, जिला रीवा, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/13/2012-AIS (I)-B, दिनांक 24 नवम्बर 2015 द्वारा भाप्रसे में नियुक्त हुए हैं. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अधिसूचना क्रमांक 14014/3/2007-AIS-I-B, दिनांक 11 मार्च 2016 से उन्हें

3127

आवंटन वर्ष 2003 प्रदान किया गया है. आवंटन वर्ष 2003 के आधार पर श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा द्वारा भाप्रसे में 09 वर्ष की सेवा दिनांक 1 जनवरी 2012 को पूर्ण कर ली गई है, और उन्हें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (JAG) की पात्रता उद्भूत हो गई है. तथापि चूंकि भाप्रसे में श्री मिश्रा की वास्तविक रूप से नियुक्ति दिनांक 24 नवम्बर 2015 को हुई है और दिनांक 1 जनवरी 2012 की स्थिति में श्री मिश्रा भाप्रसे में नियुक्त ही नहीं हुए थे, अतः श्री मिश्रा को दिनांक 1 जनवरी 2012 से काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करते हुए श्री मिश्रा को भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-3 (I) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान-बैण्ड-पे (रुपये 15,600—39,100+ग्रेड पे-7,600) स्वीकृत करता है. पदोन्नति का वास्तविक लाभ श्री मिश्रा को भाप्रसे में नियुक्ति की दिनांक अर्थात् 24 नवम्बर 2015 से प्राप्त होगा.

क्र. ई-13-12-2016-5-एक.—राज्य शासन, श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे (2000), कलेक्टर, जिला उज्जैन के लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 1 अगस्त 2016 से 10 सितम्बर 2016 तक आयोजित इंडक्शन ट्रेनिंग में भाग लेने के फलस्वरूप श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे (2009), मेला अधिकारी, (सिंहस्थ मेला), उज्जैन तथा आयुक्त, नगर निगम, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, कलेक्टर, जिला उज्जैन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मई 2016 द्वारा दिनांक 16 मई से 7 जून 2016, तक तेईस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 16 मई से 10 जून 2016 तक, छब्बीस दिन का पुनरीक्षित एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मई 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-575-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. एन. मिश्रा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जुलाई 2016 द्वारा दिनांक 26 जून से 23 जुलाई 2016 तक, अट्ठाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 24 जुलाई से 6 अगस्त 2016 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 8 जून 2016 एवं दिनांक 13 जुलाई 2016 अनुसार शेष कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई-5-645-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., प्रबंध संचालक, सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा सचिव, विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जुलाई 2016 द्वारा दिनांक 21 जुलाई से 27 अगस्त 2016 तक, अड़तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 20 जुलाई से 27 अगस्त 2016 तक, उनचालीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 14 जुलाई 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-733-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 23 से 26 जुलाई 2016 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-846-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनु तिवारी, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2016 द्वारा दिनांक 20 जून से 8 जुलाई 2016 तक, उन्नीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 4 से 30 जुलाई 2016 तक, सत्ताईस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-924-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर को दिनांक 18 जुलाई से 1 अगस्त 2016 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2016

क्र. ई-1-306-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री इकबाल सिंह बैस (1985), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल

(2) श्री इकबाल सिंह बैस, भाप्रसे (1985) को आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2016

क्र. ई-5-726-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, आयएस., आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर तथा पदेन सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जुलाई 2016 द्वारा दिनांक 19 से 26 जुलाई 2016 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 19 से 28 जुलाई 2016 तक, दस दिन अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जुलाई 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2016

क्र. ई-5-573-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एफको तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 8 से 28 अगस्त 2016 तक, इक्कीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एफको तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्र. ई-5-805-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 18 से 30 जुलाई 2016 तक, तेरह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंटोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2016

क्र. बी-1-86-2016-2-एक.—श्री कैलाश बुन्देला, राप्रसे (आर.आर. 2000), अपर कलेक्टर, देवास द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया कि उनके पिताजी ग्राम मुहासा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के रहने वाले थे तथा पिताजी की कृषि भूमि ग्राम धरमियाखेडी, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ में थी. उपरोक्त के आधार पर श्री बुन्देला द्वारा गृह जिला इन्दौर के स्थान पर गृह जिला राजगढ़ करने का अनुरोध किया गया है.

(2) राज्य शासन, परीक्षणोपरान्त एतद्द्वारा श्री कैलाश बुन्देला, राप्रसे (आर.आर. 2000), अपर कलेक्टर, देवास के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17 नवम्बर 1972 के परिप्रेक्ष्य में उनका गृह जिला इन्दौर के स्थान पर गृह जिला राजगढ़ परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्री कैलाश बुन्देला, राप्रसे (आर.आर. 2000), अपर कलेक्टर, देवास के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम-सूची में की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार कोचर, उपसचिव, "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्र. ई-5-575-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस.एन. मिश्रा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जुलाई 2016 द्वारा दिनांक 24 जुलाई से 6 अगस्त 2016 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 24 से 30 जुलाई 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 31 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्यांतर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जुलाई 2016 अनुसार शेष, कंडिकाएं यथावत्.

क्र. ई-5-733-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 जुलाई 2016 द्वारा दिनांक 23 से 26 जुलाई 2016 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव, "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

क्र. एफ 1(ए) 212-96-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अगस्त 2015 को निरस्त करते हुए, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्दौर को दिनांक 31 अगस्त 2015 से 15 जुलाई 2016 तक, कुल तीन सौ बीस दिवस का चाईल्ड केयर अवकाश एवं 30 अगस्त 2015 एवं 16, 17 जुलाई 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती हेमलता कुरील, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स मुख्यालय, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ 1(ए) 164-94-ब-2-दो.—सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 1 से 19 अगस्त तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्त वार्ता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री दास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2016

फा. क्र. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक)-2230-2016.— अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 30 जनवरी 1990 को, जहां तक कि उसका संबंध नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित जिलों में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना से है, अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, उक्त जिलों के सेशन न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	जिला
(1)	(2)
1	बड़वानी
2	बालाघाट
3	बैतूल
4	भिण्ड
5	भोपाल
6	छतरपुर
7	छिंदवाड़ा
8	दमोह
9	दतिया
10	देवास

(1) (2)

11	धार
12	गुना
13	ग्वालियर
14	हरदा
15	होशंगाबाद
16	इंदौर
17	जबलपुर
18	झाबुआ
19	कटनी
20	खंडवा
21	मंडला
22	मंदसौर
23	मुरैना
24	नरसिंहपुर
25	नीमच
26	पन्ना
27	रायसेन
28	राजगढ़
29	रतलाम
30	रीवा
31	सागर
32	सतना
33	सीहोर
34	सिवनी
35	शहडोल
36	शाजापुर
37	श्यामपुर
38	शिवपुरी
39	सीधी
40	टीकमगढ़
41	उज्जैन
42	विदिशा
43	(पश्चिमी निमाड़) मंडलेश्वर."

(2) उपरोक्त जिलों के विशेष न्यायालयों में, उपरोक्त पैरा-1 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना की तारीख को लम्बित समस्त मामले, पैरा-1 के अधीन स्थापित विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों को अंतरित हो जाएंगे.

F.No. 1-2-90-XXI-B(One)-2230-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) and in super session of this Department's Notification No. 1-2-90-XXI-B(One), dated 30th January 1990, so far as it relates to the establishment of the specified Special Court in the districts mentioned in column (2) of the table below, the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, specify the said Courts of Sessions as Special Court to try the offenses under the said Act, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Districts (2)
"1	Badwani
2	Balaghat
3	Betul
4	Bhind
5	Bhopal
6	Chhatarpur
7	Chhindwara
8	Damoh
9	Datia
10	Dewas
11	Dhar
12	Guna
13	Gwalior
14	Harda
15	Hoshangabad
16	Indore
17	Jabalpur
18	Jhabua
19	Katni
20	Khandwa
21	Mandla
22	Mandsaur
23	Morena
24	Narsinghpur
25	Neemuch
26	Panna
27	Raisen

(1)	(2)
28	Rajgarh
29	Ratlam
30	Rewa
31	Sagar
32	Satna
33	Sehore
34	Seoni
35	Shahdol
36	Shajapur
37	Sheopur
38	Shivpuri
39	Sidhi
40	Tikamgarh
41	Ujjain
42	Vidisha
43	(West Nimar) Mandleshwar."

(2) All cases pending in the Special Courts of the above districts on the date of establishment of specified Special Courts under para-1, shall stand transferred to the specified Special Courts established under para 1.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016

फा.क्र. 2016-2996-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव दिनांक 1 अगस्त 2016 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल के लंबित प्रकरणों में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 जुलाई 2014 द्वारा पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ता, श्री पंकज दुबे, को देय मासिक पारिश्रमिक रु. 55,000/- (रु. पचपन हजार) मासिक पारिश्रमिक एवं अनुषांगिक व्यय के मासिक पारिश्रमिक पर तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के अंतर्गत दिनांक 15 अगस्त 2016 से 14 अगस्त 2017 तक एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. (संबंधित फीस एवं व्यय का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2016

क्र. 1379-2012-2016-सात-2ए.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व, संहिता की धारा 17 की उपधारा (2) के अंतर्गत श्री आशीष कुमार पाठक, संयुक्त कलेक्टर, सिंगरौली को अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली की शक्तियां प्रदत्त करता है। श्री आशीष कुमार पाठक, संयुक्त कलेक्टर की सिंगरौली जिले में पदस्थापना अवधि अथवा अपर कलेक्टर की पदस्थापना होने तक यह अधिसूचना प्रभावशील रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. अहिरवार, अवर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2016

क्र. एफ-9-2-2006-अट्ठावन.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-74 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री सी. आर. लोही, संचालक, केन्द्रीय कार्य एवं मशीनरी ट्रेक्टर ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट, बुधनी के स्थान पर श्री जे. जे. आर. नरवरे, संचालक, केन्द्रीय कार्य एवं मशीनरी ट्रेक्टर ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट, बुधनी को आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के संचालक, मंडल में सदस्य मनोनीत करता है।

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2016

क्र. एफ-9-2-2006-अट्ठावन.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-74 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री महेन्द्र सिंह धाकड़, संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के स्थान पर अब श्री सत्यानंद, संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को आगामी आदेश तक निगम के संचालक, मंडल के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2016

क्र. एफ-9-2-2000-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिसूचना, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मई 2009 के अनुक्रम में मेसर्स ए.सी.ई., कटनी रिफेक्टरी वर्क्स कटनी को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदक पूर्व से विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर पूर्ववत् रखेगा तथा यथासंभव उसे उन्नत करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिन्द गणवीर, अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2016

क्र. 1876-794-2016-ए-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1930 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, विध्यनगर, वाष्पयंत्र क्रमांक एम. पी. 3891 के स्टिमिंग लायसेंस के प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में दिनांक 28 सितम्बर 2016 से 27 मार्च 2017 तक 6 माह की वृद्धि बढ़ाये जाने को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से निम्नानुसार छूट प्रदान करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 तथा 13 की अपेक्षानुसार बॉयलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।

- (3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्यूलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बॉयलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम-6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

आदेश दिया जाता है कि इसे मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाये.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्र. 1424-1411-2016-बी (सी)-ग्यारह.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, ग्वालियर संभाग ग्वालियर श्री बी.एस. सोलंकी के अवकाश से लौटने तक के लिये आगामी आदेश तक नियुक्त करता है:—

अनु अधिकारी का नाम क्र.	अधिनियम की धाराएं	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1 श्री एम. जे. कुरेशी, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग, सागर.	6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 25 (2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38 एवं 39.	ग्वालियर चम्बल संभाग ग्वालियर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, उपसचिव.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. एफ 2-7-2015-1-उनसठ.—मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1971) की धारा 42 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख) तथा

(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (संशोधित 1991) में निम्नलिखित संशोधन, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अध्याय-दो में.—

- (1) नियम 6 के उपनियम (1) में शब्द “पचास रुपये” के स्थान पर, शब्द “पचास हजार रुपये” स्थापित किए जाएं;
- (2) नियम 8 के उपनियम (6) में शब्द “डाक प्रेषणा प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा” के स्थान पर शब्द “रजिस्टर्ड डाक द्वारा” स्थापित किए जाएं;
- (3) नियम 9 के उपनियम (1) में शब्द “अपना मत-पत्र डाक प्रेषण प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा भेजेगा” के स्थान पर “अपना मत-पत्र या तो रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेगा या उसे व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करेगा” स्थापित किए जाएं;

No. F-2-7-2015-1-LIX.—In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of Section 42 of the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritik Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971), the State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritik Chikitsa Vyavasayi Rules, 1973 (amended 1991), the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 42 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in chapter II,—

- (1) In sub-rule (1) of rule 6, for the words “Rupees Fifty” the words “Rupees Five Thousand” shall be substituted;
- (2) In Sub rule (6) of rule 8, for the words “by post under certificate of posting”, the words “by registered post” shall be substituted;
- (3) In sub rule (1) of rule 9, for the words “shall send his voting paper by post under certificate posting”, the words “shall send his voting paper by registered post or submit personally” shall be substituted;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशि खत्री, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 30 जुलाई 2016

प्र. क्र. 1110-ए-82-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में माही परियोजना तहसील पेटलावद जिला झाबुआ की नहरों के लिए आवश्यक वर्णित भूमि, जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र हेतु एवं क्षेत्र के परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार तथा क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी. अतः परियोजना के क्रियान्वयन की अनुशंसा की गई है. उक्त परियोजना के निर्माण से कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम:—करड़ावद

तहसील—पेटलावद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि अजब बोराली माईनर नहर की करड़ावद-दुलाखेड़ी उप-माईनर नहर.	—	0.51	0.51

अनुसूची (2)

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	रतनलाल पिता कचरू कोरट जाति आंजना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	2373 2822	—	0.43 0.17	0.43 0.17	—	0.03 0.01	0.03 0.01
2	सुरजमल पिता मुलचंद जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	2374 2762	—	0.20 1.04	0.20 1.04	—	0.06 0.03	0.06 0.03
3	हिरालाल पिता गंगाराम, नारायण संतोकी, सीता पिता मादु कोरट जाति आंजना पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	2375	—	0.94	0.94	—	0.04	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	सत्यनारायण पिता रामचन्द्र जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	2812	-	0.56	0.56	-	0.05	0.05
5	अमरसिंह पिता कचरू कोरट जाति आंजना पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	2821	-	0.60	0.60	-	0.06	0.06
6	गीताबाई पति मडिया भुरिया जाति भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	2820	-	0.57	0.57	-	0.07	0.07
7	पार्वतीबाई पति राजाराम भाण्ड जाति आंजन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	2824 2825 2826	- - -	0.61 0.70 0.46	0.61 0.70 0.46	- - -	0.03 0.12 0.01	0.03 0.12 0.01
	योग . . .		-	6.28	6.28	-	0.51	0.51

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्र. 7266-भू-अर्जन-2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम किशनपुरिया, कालीतलाई एवं जसापुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि किशनपुरिया के तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची (1)

ग्राम:—किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि, तहसील—राजगढ़

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	किशनपुरिया	0.031	1.012	1.043
2	कालीतलाई	0.000	3.784	3.784
3	जसापुरा	0.000	0.409	0.409
	कुल योग . . .	0.031	5.205	5.236

अनुसूची (2)

किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि-ग्राम किशनपुरिया

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गोरीलाल पिता शंकर जाति नाई नि. ग्राम कालीतलाई.	36/2	0.900	0.000	0.450	0.450
योग :			0.900	0.000	0.450	0.450
2	रामचन्द्र पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भूस्वामी.	37/4	1.012	0.000	0.375	0.0375
योग :			1.012	0.000	0.375	0.0375
3	बापूलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम जसापुरा	44/3/1	0.506	0.010	0.000	0.010
योग :			0.506	0.010	0.000	0.010
4	दुर्गाप्रसाद पिता भंवरलाल जाति बंजारा नि.ग्राम डूंगरपुर.	48/2	0.492	0.010	0.000	0.010
योग :			0.492	0.010	0.000	0.010
5	बद्रीलाल पिता जालम जाति चारण कन ग्राम भूस्वामी.	48/3	0.267	0.011	0.000	0.011
योग :			0.267	0.011	0.000	0.011
6	दूलीचन्द पिता जगन्नाथ जाति चमार.	51/1	0.337	0.000	0.087	0.0087
योग :			0.337	0.000	0.087	0.0087
7	राधेध्याम पिता रामसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भूमिस्वामी.	65/1/2	0.253	0.000	0.100	0.100
योग :			0.253	0.000	0.100	0.100
कुल योग :			3.767	0.031	1.012	1.043

किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि-ग्राम कालीतलाई

1	गंगाराम पिता दोलतराम जाति बेलदार नि. ग्राम भू-स्वामी.	606/1/1	0.238	0.000	0.004	0.004
योग :			0.238	0.000	0.004	0.004
2	कालू पिता दोलतराम जाति बेलदार नि. ग्राम भू-स्वामी.	606/1/2	0.238	0.000	0.004	0.004
योग :			0.238	0.000	0.004	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	फूलसिंह पिता दोलतराम जाति बेलदार, नि. ग्राम भू-स्वामी.	606/1/3	0.238	0.000	0.004	0.004
	योग :		0.238	0.000	0.004	0.004
4	भंवरलाल पिता गट्टूलाल जाति दांगी, नि. ग्राम भू-स्वामी.	654/1	0.494	0.000	0.094	0.094
	योग :		0.494	0.000	0.094	0.094
5	देवचन्द, बट्टीलाल, मांगीबाई पिता शंकरलाल मु.गेंदीबाई बेवा शंकरलाल, जाति दांगी, नि. ग्राम भू-स्वामी.	612	0.101	0.000	0.051	0.051
	योग :		0.101	0.000	0.051	0.051
6	अनोख, गुलाबचन्द पिता मांगीलाल, जाति धाकड़, नि. ग्राम भू-स्वामी.	641	0.038	0.000	0.019	0.019
	योग :		0.038	0.000	0.019	0.019
7	कालू पिता गोपी, जाति बेलदार, नि. ग्राम भू-स्वामी.	578/3/4	0.717	0.000	0.143	0.143
	योग :		0.717	0.000	0.143	0.143
8	भेरू पिता गोपी, जाति बेलदार, नि. ग्राम भू-स्वामी.	578/3/5	0.716	0.000	0.144	0.144
	योग :		0.716	0.000	0.144	0.144
9	रोडुजी पिता देवीलाल, जाति धाकड़, नि. ग्राम भू-स्वामी.	581/1	2.530	0.000	1.669	1.669
	योग :		2.530	0.000	1.669	1.669
10	अनोखसिंह पिता मांगीलाल, जाति धाकड़, नि. ग्राम भू-स्वामी.	581/3	1.365	0.000	0.835	0.835
	योग :		1.365	0.000	0.835	0.835
11	विजयसिंह पिता भंवरलाल, जाति धाकड़, नि. ग्राम भू-स्वामी.	581/2 581/6	2.530 0.506	0.000 0.000	0.246 0.076	0.246 0.076
	योग :		3.036	0.000	0.322	0.322
12	गुलाबचन्द पिता मांगीलाल, जाति धाकड़, नि. ग्राम भू-स्वामी.	581/4	1.364	0.000	0.495	0.495
	योग :		1.364	0.000	0.495	0.495
	कुल योग :		11.075	0.000	3.784	3.784

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि—ग्राम जसापुरा						
1	लाड़बाई पति जगदीश, जाति सौँधिया, नि. ग्राम भू-स्वामी.	231/7/2	1.214	0.000	0.170	0.170
	योग :		1.214	0.000	0.170	0.170
2	नर्बदाप्रसाद, श्यामबाबू, जगदीश प्रेमनारायण गोपाल पिता नन्दलाल रतनबाई पुर्णबाई पिता नन्दलाल मु. काशीबाई बेवा नन्दलाल हि.समान, जाति सुनार, नि. ग्राम चाटूखेड़ा.	231/8	1.491	0.000	0.170	0.170
	योग :		1.491	0.000	0.170	0.170
3	लक्ष्मीनारायण, बहादरसिंह पिता माधू मु. नोरंगबाई बेवा माधू जाति सौँधिया, नि.ग्राम भू-स्वामी.	236/3/1	0.060	0.000	0.034	0.034
	योग :		0.060	0.000	0.034	0.034
4	मांगू पिता रामलाल, जाति सौँधिया, नि.ग्राम भू-स्वामी.	236/3/2	0.060	0.000	0.035	0.035
	योग :		0.060	0.000	0.035	0.035
	कुल योग :		2.825	0.000	0.409	0.409

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, (श्रम शाखा) जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्र. 939-बंधक श्रमिक-छि.-2016.—प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 899-1037-16-ए-सोलह, भोपाल दिनांक 20 जून 2016 में दिये गये निर्देशानुसार मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला छिन्दवाड़ा में बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अन्तर्गत जिला छिन्दवाड़ा में जिला स्तरीय समिति का पुनर्गठन करता हूँ।

अनुसूची

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

जिले का नाम (1)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों के नाम (2)	पद (3)
छिन्दवाड़ा	कलेक्टर छिन्दवाड़ा	अध्यक्ष

शासकीय सदस्य

1.	पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा	सदस्य
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा	सदस्य
2.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छिन्दवाड़ा	सदस्य
3.	श्रम पदाधिकारी, छिन्दवाड़ा	सदस्य

(1)	(2)	(3)
	वित्तीय प्रबंधन के संस्थानों से संबंधित सदस्य	
छिन्दवाड़ा	प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, छिन्दवाड़ा	सदस्य
	अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य	
	1. श्री शंकर उईके, ग्राम-खुटिया	सदस्य
	2. श्रीमती मीना अहिरवार, गुरैया	सदस्य
	3. श्री मुकेश धुर्वे, ग्राम-कराबोह	सदस्य
	सामाजिक कार्यकर्ता	
	1. श्री उमेश चौधरी, ग्राम-पिपरिया बीला	सदस्य
	2. श्री रत्नाकर अवारे, पटैल कालोनी	सदस्य
	3. श्री मनमोहन महेश्वरी, शिक्षक कालोनी	सदस्य
	जनप्रतिनिधि	
	श्री आशा राम साहू गांगीवाडा	सदस्य

जे. के. जैन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 19 जुलाई 2016

जावक क्र. 07-16.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 154-2463-2012-ए-सोलह, दिनांक 22 जनवरी 2013 के परिपालन में निर्माण श्रमिक पंजीयन तथा योजनाओं में हितलाभ वितरण पर निगरानी रखने तथा अवैध प्रकरणों को रोकने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति गठित की जाती है:—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, नीमच

01	कलेक्टर	अध्यक्ष
02	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
03	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
04	उप संचालक/सहायक संचालक, सामाजिक न्याय	सदस्य
05	प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय	सदस्य
06	जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य
07	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नीमच/जावद/मनासा	सदस्य
08	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, नीमच	सदस्य
09	समस्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्	सदस्य
10	श्रम संगठन का प्रतिनिधि—श्री चतरसिंह गेहलोत, नीमच सिटी	सदस्य
11	सामाजिक संगठन का प्रतिनिधि—श्री हेमन्त हरित, स्कीम नं. 09 नीमच	सदस्य
12	श्रम पदाधिकारी, नीमच	सदस्य-सचिव.

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 3 अगस्त 2016

क्र. 9661-व.लि.-2006.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 828-29-व.लि.-2015, धार दिनांक 12 जनवरी 2016 द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर 2016 के लिये उर्स का स्थानीय अवकाश, तहसील बदनावर को छोड़कर, संपूर्ण धार जिले के लिये घोषित किया गया था. मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, अधिकारी एवं कर्मचारी संघ जिला धार की मांग को दृष्टिगत रखते हुए, धार जिले की 08 तहसीलों में से 07 तहसील आदिवासी बहुल क्षेत्र होने से, उक्त अवकाश निरस्त किया जाता है.

उक्त अवकाश के स्थान पर सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रम 04 नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3-23-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत श्री श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर, जिला धार द्वारा 9 अगस्त 2016 (मंगलवार) विश्व आदिवासी दिवस का स्थानीय अवकाश धार जिले की तहसील बदनावर को छोड़कर, संपूर्ण धार जिले के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ.

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय, उप कोषालय पर लागू नहीं होगा.

श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मंडी निर्वाचन) गुना मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 4 अगस्त 2016

क्र. 403-स्था.निर्वा.-मंडी-2016.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, बीनागंज, जिला गुना के वार्ड क्रमांक 09 के उप-निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती ऊषाबाई सहरिया	कृषक सदस्य	ग्राम चौपनकलों, तहसील चांचौडा, जिला गुना, मध्यप्रदेश.

क्र. 405-स्था.निवा.-मंडी-2016.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, राघौगढ़, जिला गुना के वार्ड क्रमांक 10 के उप-निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री चंदनसिंह भील	कृषक सदस्य	ग्राम परसोलिया, तहसील राघौगढ़, जिला गुना, मध्यप्रदेश.

राजेश जैन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मंडी निर्वा.).

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2012.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2012-692, दिनांक 23 जून 2015 के अनुक्रम में, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सात) एवं (आठ) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित निम्नांकित व्यक्तियों को जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के बोर्ड में सदस्य मनोनीत करते हैं:—

अधिनियम की धारा 25 (1) (सात) के अन्तर्गत:—

श्री विजय यादव, निवासी डाली बाबा चौक के पास, सतना (मध्यप्रदेश).

अधिनियम की धारा 25 (1) (आठ) के अन्तर्गत:—

श्री प्रभाशंकर शुक्ल, सहायक प्राध्यापक (कृषि अभियांत्रिकी), गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तरांचल.

कुलाधिपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्र. एफ-49-1-रा.स.-यू.ए.-5-2016.—इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 985-रा.स.-यू.ए.-5-2014, दिनांक 18 सितम्बर 2014 के अनुक्रम में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी ने अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (आठ) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा नामनिर्देशित डॉ. सुशील कुमार प्यासी, स्वाइल एण्ड वाटर इंजीनियर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,

शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के अपर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

फा. क्र. 2951-21-ब-(दो) 16

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2016

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फाईल क्रमांक-17-(ई)-524-2008-21-ब(दो) दिनांक 30 अगस्त, 2008 की निरंतरता में राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य की विभिन्न तहसीलों और जिलों में नए आवंटित नोटरियों के पद पर निम्नलिखित अनुसार आवंटन अधिसूचित करती है,—

सारणी

अनुक्रमांक	जिले का नाम	तहसील का नाम	स्वीकृत पद	बड़े हुए पदों की संख्या	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बालाघाट	1.बालाघाट	9	3	12
		2.वारासिवनी	8	2	10
		3.बैहर	4	2	6
		4.लांजी	2	2	4
		5.कटंगी	3	2	5
		6.किरनापुर	2	2	4
		7.खैरलांजी	2	2	4
		8.लालबरा	2	1	3
		9.तिरोडी •	0	2	2
		10.परसवाडा •	0	2	2
	कुल		32	20	52
2.	बडवानी	1.बडवानी	8	4	12
		2.ठीकरी	3	2	5
		3.राजपुर	6	2	8
		4.पानसेमल	4	2	6
		5.संघवा	8	2	10
		6.निवाली	1	2	3
		7.अंजड •	0	2	2
		8.पाती •	0	2	2
		9.बरला •	0	2	2
	कुल		30	20	50
3.	बैतूल	1.बैतूल	11	5	16
		2.मुलताई	6	3	9
		3.भैसदेही	5	2	7
		4.शाहपुर	3	2	5
		5.आमला	2	2	4
		6.आठनेर •	0	2	2
		7.घोडाडोगरी •	0	2	2
		8.चिचौली •	0	2	2
	कुल		27	20	47
4.	भिण्ड	1.भिण्ड	11	3	14
		2.लहार	7	3	10
		3.गोहद	6	2	8
		4.मेहगांव	4	2	6
		5.रोन	3	2	5
		6.अटेर	3	2	5
		7.मिहोना	4	1	5
		8.सुरपुरा	2	2	4
		9.दबाह	2	2	4

		10.आलमपुर	1	2	3
		11.मौ	1	2	3
		12.गुरमी •	0	2	2
	कुल		44	25	69
5.	भोपाल-	1.भोपाल	58+2	15	75
		2.बैरसिया	8	5	13
	कुल		68	20	88
6.	छतरपुर	1.छतरपुर	7	5	12
		2.लौंडी	4	3	7
		3.बिजावर	5	3	8
		4.नौगांव	5	3	8
		5.राजनगर	3	2	5
		6.गौरिहार	2	2	4
		7.बडामलहरा	2	2	4
		8.बारीगढ	2	2	4
		9.महाराजपुर •	0	2	2
		10.बकसवाह •	0	2	2
		11.चादोली •	0	2	2
		12.धुवरा •	0	2	2
	कुल		30	30	62
7.	छिन्दवाडा	1.छिन्दवाडा	10	6	16
		2.अमरवाडा	4	4	8
		3.जुन्नारदेव	3	3	6
		4.परासिया	4	3	7
		5.पांडुना	3	3	6
		6.तामिया	2	2	4
		7.चौराई	3	2	5
		8.सौसर	5	2	7
		9.बिछुआ	2	1	3
		10.मोहखेडा	2	1	3
		11.हरई •	2	1	3
		12.उमरेठ •	0	2	2
	कुल		40	30	70
8.	दमोह	1.दमोह	11	5	16
		2.पथरिया	3	3	6
		3.बटियागढ	2	3	5
		4.जबेरा	2	3	5
		5.तेदूखेडा	8	2	10
		6.हटा	5	1	6
		7.पटेरा	2	1	3
		8.बटियागढ •	0	2	2
	कुल		33	20	53
9.	दतिया	1.दतिया	13	4	17
		2.सेवडा	7+1	2	10
		3.भाण्डेर	5	1	6
		4.बसई	2	1	3
		5.इन्दरगढ •	0	2	2
	कुल		28	10	38
10.	देवास	1.देवास	11	2	13

		2.सोनकच्छ	4	1	5
		3.टोकरखुर्द	3	1	4
		4.बागली	5	1	6
		5.खातेगांव	4	1	5
		6.कन्नौद	4	1	5
		7.हाटपिपल्या	2	1	3
		8.सतवास •	0	2	2
	कुल		33	10	43
11.	धार	1.धार	11	4	15
		2.सरदारपुर	4	2	6
		3.बदनावर	4	2	6
		4.धरमपुरी	4	2	6
		5.कुक्षी	5	1	6
		6.मनावर	4	1	5
		7.गंधवानी	4	1	5
		8.दाही •	0	2	2
	कुल		36	15	51
12.	डिण्डौरी	1.डिण्डौरी	8	4	12
		2.शाहपुरा	4	2	6
	कुल		12	6	18
13.	खंडवा	1.खंडवा	11	3	14
		2.हरसूद	5	2	7
		3.पंधाना	3	1	4
		4.पुनासा •	0	2	2
		5.खालवा •	0	2	2
	कुल		19	10	29
14.	गुना	1.गुना	11	2	13
		2.आरोन	5	1	6
		3.राधौगढ	5	1	6
		4.चाचौडा	5	1	6
		5.कुम्भराज	3	1	4
		6.बामोरी •	0	2	2
		7.मकसूदनगढ •	0	2	2
	कुल		29	10	39
15.	ग्वालियर	1.ग्वालियर	40+1	6	47
		2.डबरा	10	5	15
		3.भितरवार	6	2	8
		4.चिन्नौर •	0	2	2
	कुल		57	15	72
16.	हरदा	1.हरदा	11	2	13
		2.खिरकिया	3	1	4
		3.टिमरनी	6	1	7
		4.सीराली •	0	2	2
		5.रेहतगाँव •	0	2	2
		6.हान्डिया •	0	2	2
	कुल		20	10	30
17.	होशंगाबाद	1.होशंगाबाद	14	1	15
		2.बाबई	5	1	6
		3.सिवनी मालवा	6	1	7

		4.इटारसी	10	1	11
		5.सोहागुपर	9	1	10
		6.पिपरिया	5	1	6
		7.पचमढी	1	1	2
		8.बनखेड़ी	3	1	4
		9.डोलरिया •	0	2	2
	कुल		53	10	63
18.	इंदौर	1.इंदौर	54	8	62
		2.महू	10	4	14
		3.देपालपुर	4	4	8
		4.सांवेर	3	2	5
		5.हाथोड •	0	2	2
	कुल		71	20	91
19.	जबलपुर	1.जबलपुर	52	10	62
		2.सिहोरा	5	4	9
		3.पाटन	4	3	7
		4.मझौली	3	3	6
		5.कुण्डम	1	1	2
		6.शाहपुरा	1	1	2
		7.कटंगी	2	1	3
		8.पानागर •	0	2	2
	कुल		68	25	93
20.	झाबुआ	1.झाबुआ	9	3	12
		2.पेटलावद	5	2	7
		3.थांदला	4	2	6
		4.रानापुर	2	2	4
		5.मेघनगर	2	1	3
	कुल		22	10	32
21.	कटनी	1.कटनी	9	3	12
		2.विजयराघवगढ़	3	3	6
		3.ढीमरखेड़ा	1	2	3
		4.बहोरीबंद	2	2	4
		5.रीठी	1	2	3
		6.बडवारा	2	2	4
		7.बरही	1	1	2
	कुल		19	15	34
22.	मंडला	1.मंडला	9	4	13
		2.निवास	4	3	7
		3.नैनपुर	5	2	7
		4.बिछिया	2	1	3
		5.नारायणगंज •	0	2	2
		6.घुघरी	0	2	2
	कुल		20	14	34
23	मंदसौर	1.मंदसौर	17	3	20
		2.सीतामठ	7	2	9
		3.मल्हारगढ़	8	2	10
		4.गरोठ	7	1	8
		5.भानपुरा	6	1	7
		6.सुवासरा	2	1	3

		7.श्यामगढ •	0	2	2
		8.दालौद •	0	2	2
	कुल		47	14	61
24	मुरेना	1.मुरेना	16	3	19
		2.अम्बाह	6	2	8
		3.पोरसा	3	1	4
		4.सबलगढ	7	1	8
		5.जौरा	6	2	8
		6.कैलारस	3	1	4
	कुल		41	10	51
25	नरसिंहपुर	1.नरसिंहपुर	9	3	12
		2.गाडरवासा	6	3	9
		3.तेन्दुखेडा	3	2	5
		4.करेली	7	2	9
		5.गोटेगांव	6	2	8
	कुल		31	12	43
26	नीमच	1.नीमच	12	4	16
		2.मनासा	7	2	9
		3.जावद	8	2	10
		4.सिगौली •	0	2	2
		5.जीरन •	0	2	2
	कुल		27	12	39
27	पन्ना	1.पन्ना	9	6	15
		2.पवई	5	2	7
		3.अजयगढ	5	2	7
		4.शाहनगर	5	2	7
		5.गुन्नौर	3	2	5
		6.रेपुरा •	0	2	2
		7.अमानगंज •	0	2	2
		8.देवेन्द्रनगर •	0	2	2
	कुल		27	20	47
28	रायसेन	1.रायसेन	11	3	14
		2.गौरतगंज	5	2	7
		3.सिलवानी	4	1	5
		4.बेगमगंज	4	2	6
		5.गौहरगंज	6	2	8
		6.बरेली	6	2	8
		7.उदयपुरा	5	1	6
		8.बाडी •	0	2	2
	कुल		41	15	56
29	राजगढ	1.राजगढ	7	3	10
		2.ब्यावरा	5	2	7
		3.नरसिंहगढ	6	2	8
		4.जीरापुर	3	2	5
		5.खिलचीपुर	3	2	5
		6.सारंगपुर	4	1	5
	कुल		28	12	40

30	रतलाम	1.रतलाम	16	4	20
		2.जावरा	7	2	9
		3.बाजना	3	2	5
		4.आलोट	4	2	6
		5.सैलाना	3	2	5
		6.पिपलोदा	3	2	5
		7.ढोढर	2	1	3
		8.ताल •	2	1	3
		9.बडवदा	1	1	2
		10.रावती •	0	2	2
	कुल		41	20	61
31	रीवा	1.रीवा	21	6	27
		2.मउगंज	5	4	9
		3.हनुमना	2	4	6
		4.त्यौथर	5	2	7
		5.सिरमौर	3	2	5
		6.गुढ	3	2	5
		7.रायपुर / कुर्चलियान	3	2	5
		8.मगवाँ •	0	2	2
		9.सेमरिया •	0	2	2
		10.जवा •	0	2	2
		11.नईगढी •	0	2	2
	कुल		42	30	72
32	सागर	1.सागर	17	4	21
		2.खुरई	5	3	8
		3.रहली	4	2	6
		4.बन्डा	4	2	6
		5.बीना	4	2	6
		6.देवरी	4	2	6
		7.राहतगढ	2	2	4
		8.गढाकोटा	2	2	4
		9.केशली	2	2	4
		10.मालथौन •	0	2	2
		11.शाहगढ •	0	2	2
	कुल		44	25	69
33	सतना	1.सतना	13	4	17
		2.रामपुर (बघेलान)	4	3	7
		3.अमरपाटन	5	2	7
		4.नागौद	4	2	6
		5.मैहर	5	2	7
		6.रामनगर	3	2	5
		7.उचेहरा	2	2	4
		8.मझगवाँ	2	1	3
		9.कोटहार •	0	2	2
		10.बिरसिंहपुर •	0	2	2

	कुल		38	22	60
34	सीहोर	1.सीहोर	16	4	20
		2.आष्टा	8	2	10
		3.नसरुल्लागंज	7	2	9
		4.बुधनी	7	2	9
		5.इछावर	5	1	6
		6.रेहटी •	0	2	2
		7.श्यामपुर •	0	2	2
		8.जावर •	0	2	2
	कुल		43	17	60
35	सिवनी	1.सिवनी	9	4	13
		2.लखनादौन	5	3	8
		3.केवलारी	3	3	6
		4.बरघाट	3	2	5
		5.कुरई	2	2	4
		6.छपारा	2	2	4
		7.घंसौर	2	2	4
		8.घनुसा •	0	2	2
	कुल		26	20	46
36	शहडोल	1.सोहागपुर	8	4	12
		2.बुढार	5	2	7
		3.जैतपुर	4	2	6
		4.जयसिंहनगर	4	2	6
		5.ब्यौहारी	4	2	6
	कुल		25	12	37
37	शाजापुर	1.शाजापुर	8	4	12
		2. आगर	5	3	8
		3.बडौद	3	1	4
		4.शुजालपुर	6	3	9
		5.अकोदिया	2	2	4
		6.कालापीपल	2	1	3
		7.सुसनेर	3	2	5
		8.नंलखेडा	3	2	5
		9.मोमेरन.बडोदिया	2	1	3
		10.गुलाना	2	1	3
	कुल		36	20	56
38	श्यापुर	1.श्यापुर कला	10	4	14
		2.विजयपुर	5	3	8
		3.कराहल	3	2	5
		4.बडोदा •	2	2	4
		5.बीरपुर •	0	2	2
	कुल		20	13	33
39	शिवपुरी	1.शिवपुरी	17	4	21
		2.पिछोर	8	2	10
		3.पोहरी	5	1	6

		4.कोलारस	5	1	6
		5.करेरा	6	2	8
		6.नरवर	7	1	8
		7.खनियाधाना	4	2	6
		8.बदरवास •	0	2	2
	कुल		52	15	67
40	सीधी	1.सीधी	10	4	14
		2.मझौली	4	3	7
		3.कुसमी	4	3	7
		4.सिंहावल	3	2	5
		5.रामपुर नैकिन	3	2	5
		6.चुरहट	4	1	5
	कुल		28	15	43
41	टीकमगढ़	1.टीकमगढ़	10	5	15
		2.बलदेवगढ़	2	2	4
		3.जतारा	4	3	7
		4.निवाड़ी	5	3	8
		5.पृथ्वीपुर	2	2	4
		6.तरीचरकलौ	2	2	4
		7.पलेरा	2	2	4
		8.ओरछा	3	2	5
		9.खडगपुर •	0	2	2
		10.मोहनगढ़ •	0	2	2
	कुल		30	25	55
42	उज्जैन	1.उज्जैन	22	5	27
		2.खाचरोद	6	3	9
		3.बड़नगर	6	2	8
		4.तराना	5	1	6
		5.महिदपुर	5	1	6
		6.घटिटया	4	1	5
		7.नागदा	3	2	5
	कुल		51	15	66
43	उमरिया	1.बांधवगढ़	6	4	10
		2.पाली	3	2	5
		3.मानपुर	3	2	5
		4.चांदिया •	0	2	2
		5.नौराजाबाद •	0	2	2
	कुल		12	12	24
44	विदिशा	1.विदिशा	13	6	19
		2.गंजबासौदा	9	2	11
		3.सिरोंज	5	3	8
		4.लटेरी	4	2	6
		5.कुरवाई	5	3	8
		6.नटेरन	5	2	7
		7.ग्यारसपुर	4	1	5

		8.शमशाबाद •	0	2	2
		9.त्यौदा •	0	2	2
		10.गुलाबगंज •	0	2	2
	कुल		45	25	70
45	मंडलेश्वर	1.मण्डलेश्वर	6	3	9
		2.खरगौन	8	2	10
		3.सेगांव	3	2	5
		4.भीकनगांव	5	2	7
		5.कसरावद	5	2	7
		6.बडवाह	6	2	8
		7.महेश्वर	5	3	8
		8.झिरन्या	3	1	4
		9.भगवानपुरा	2	1	3
		10.गोर्गाव •	0	2	2
	कुल		43	20	63
46	बुरहानपुर	1.बुरहानपुर	9	4	13
		2.खकनार	2	3	5
		3.नेपानगर	3	3	6
	कुल		14	10	24
47	अशोकनगर	1.अशोकनगर	9	3	12
		2.ईसागढ	3	1	4
		3.मुंगावली	5	2	7
		4.चंदेरी	4	2	6
		5.शाढोरा •	0	2	2
	कुल		21	10	31
48	अनुपपुर	1.अनुपपुर	7	4	11
		2.पुष्पराजगढ	4	2	6
		3.कोतमा	4	2	6
		4.जैतहरी	3	2	5
	कुल		18	10	28
49	अलीराजपुर	1.अलीराजपुर •	7	4	11
		2.जोबट	5	2	7
		3.भावरा	2	2	4
	कुल		14	8	22
50	सिंगरौली	1.सिंगरौली •	6	4	10
		2.चितरंगी	3	2	5
		3.देवसर	3	2	5
	कुल		12	8	20
कुल योग			1688	812	2500

• नवीन जिले/ तहसीले

नोट—: कॉलम क्रमांक 4 में दर्ज संख्या के संबंध में दिनांक 30.08.2008 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 17-ई-524-2008-इक्कीस ब(दो) का भी अवलोकन करने का कष्ट करें।

In continuation of this department's notification No. F.No. 17(E) 524-2008-21-B (Two) dated, 30th August, 2008 the State Government, hereby notify the allotment of newly allotted post of notaries in different tehsils and districts of the State of Madhya Pradesh as under :-

TABLE

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Balaghat	1. Balaghat	9	3	12
		2. Waraseoni	8	2	10
		3. Baihar	4	2	6
		4. Lanji	2	2	4
		5. Katangi	3	2	5
		6. Kirnapur	2	2	4
		7. Khairlanji	2	2	4
		8. Lalbarra	2	1	3
		9. Tirodi*	0	2	2
		10. Paraswada*	0	2	2
Total			32	20	52
2.	Barwani	1. Barwani	8	4	12
		2. Thikari	3	2	5
		3. Rajpur	6	2	8
		4. Pansemal	4	2	6
		5. Sendhwa	8	2	10

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Niwali	1	2	3
		7. Niwali	0	2	2
		8. Pati	0	2	2
		9. Barla	0	2	2
		Total	30	20	50
3.	Betul	1. Betul	11	5	16
		2. Multai	6	3	9
		3. Bhainsdehi	5	2	7
		4. Shahpur	3	2	5
		5. Amla	2	2	4
		6. Aathner*	0	2	2
		7. Ghoradongari*	0	2	2
		8. ChiCholi*	0	2	2
		Total	27	20	47
4.	Bhind	1. Bhind	11	3	14
		2. Lahar	7	3	10
		3. Gohad	6	2	8
		4. Mehgaoun	4	2	6
		5. Ron	3	2	5
		6. Ater	3	2	5
		7. Mehoha	4	1	5
		8. surpur	2	2	4
		9. Daboh	2	2	4
		10. Alampur	1	2	3
		11. Mau	1	2	3

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		12. Gormi*	0	2	2
		Total	44	25	69
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Bhopal	1. Bhopal	58+2	15	75
		2. Berasia	8	5	13
		Total	68	20	88
6.	Chhatarpur	1. Chhatarpur	7	5	12
		2. Laundi	4	3	7
		3. Bijawar	5	3	8
		4. Nowgaon	5	3	8
		5. Rajnagar	3	2	5
		6. Gourihar	2	2	4
		7. Badamalhara .	2	2	4
		8. Barigarh	2	2	4
		9. Maharajpur *	0	2	2
		10. Bakswaha *	0	2	2
		11. Chandala*	0	2	2
		12. Dhuwara*	0	2	2
		13..Dhttwara*	0	2	2
		Total	30	30	62
7.	Chhindwara	1. Chhindwara	10	6	16
		2. Amarwara	4	4	8
		3. Junardeve	3	3	6
		4. Parasia	4	3	7
		5. Pandhurna	3	3	6

No:	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6. Tamia	2	2	4
		7. Churai	3	2	5
		8. Saunsar	5	2	7
		9. Bichhua	2	1	3
		10. Mohkheda	2	1	3
		11. Harrai*	2	1	3
		12. Umreth *	0	2	2
		Total	40	30	70
8.	Damoh	1. Damoh	11	5	16
		2. Pathariya	3	3	6
		3. Batiyagarh	2	3	5
		4. Jaberā	2	3	5
		5. Tendukheda	8	2	10
		6. Hatta	5	1	6
		7. Patera	2	1	3
		8. Batiyagarh*	0	2	2
		Total	33	20	53
9.	Datia	1. Datia	13	4	17
		2. Sewada	7+1	2	10
		3. Bhandar	5	1	6
		4. Basai	2	1	3
		5. Indergarh*	0	2	2
		Total	28	10	38
10.	Dewas	1. Dewas	11	2	13
		2. Sonkatch	4	1	5

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Tonkkhurd	3	1	4
		4. Bagali	5	1	6
		5. Khategaon	4	1	5
		6. Kannod	4	1	5
		7. Hatpipalya	2	1	3
		8. Satwas*	0	2	2
		Total	33	10	43
11.	Dhar	1. Dhar	11	4	15
		2. Sardarpur	4	2	6
		3. Badnawar	4	2	6
		4. Dharampuri	4	2	6
		5. Kukshi	5	1	6
		6. Manawar	4	1	5
		7. Gandhwani	4	1	5
		8. Dahi *	0	2	2
		Total	36	15	51
12.	Dindori	1. Dindori	8	4	12
		2. Shahpura	4	2	6
		Total	12	6	18
13.	Khandwa	1. Khandwa	11	3	14
		2. Harsud	5	2	7
		3. Pandhana	3	1	4
		4. Punasa *	0	2	2
		5. Khalwa*	0	2	2
		Total	19	10	29
14.	Guna	1. Guna	11	2	13
		2. Aron	5	1	6
		3. Raghogarh	5	1	6
		4. Chachoda	5	1	6
		5. kumbhraj	3	1	4
		6. Bamori *	0	2	2
		7. Maksudangarh *	0	2	2
		Total	29	10	39

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Gwalior	1. Gwalior	40+1	6	47
		2. Dabra	10	5	15
		3. Bhitwar	6	2	8
		4. Chinor*	0	2	2
		Total	57	15	72
16.	Harda	1. Harda	11	2	13
		2. Khirkiya	3	1	4
		3. Timarni	6	1	7
		4. Sirali *	0	2	2
		5. Rehatgaon *	0	2	2
		6. Handiya *	0	2	2
		Total	20	10	30
17.	Hoshangabad	1. Hoshangabad	14	1	15
		2. Babai	5	1	6
		3. Seoni Malwa	6	1	7
		4. Itarsi	10	1	11
		5. Sohagpur	9	1	10
		6. Pipariya	5	1	6
		7. Panchmadi	1	1	2
		8. Bankheddi	3	1	4
		9. Dolriya *	0	2	2
		Total	53	10	63
18.	Indore	1. Indore	54	8	62
		2. Mhow	10	4	14
		3. Depalpur	4	4	8

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Gwalior	1. Gwalior	40	6	46
		2. Dabra	10	5	15
		3. Bhitwarwar	6	2	8
		4. Chinor*	0	2	2
		Total	56	15	71
16.	Harda	1. Harda	11	2	13
		2. Khirkiya	3	1	4
		3. Timarni	6	1	7
		4. Sirali *	0	2	2
		5. Rehatgaon *	0	2	2
		6. Handiya *	0	2	2
		Total	20	10	30
17.	Hoshangabad	1. Hoshangabad	14	1	15
		2. Babai	5	1	6
		3. Seoni Malwa	6	1	7
		4. Itarsi	10	1	11
		5. Sohagpur	9	1	10
		6. Pipariya	5	1	6
		7. Panchmadi	1	1	2
		8. Bankhedhi	3	1	4
		9. Dolriya *	0	2	2
		Total	53	10	63
18.	Indore	1. Indore	54	8	62
		2. Mhow	10	4	14
		3. Depalpur	4	4	8

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Sanwer	3	2	5
		5. Hatod*	0	2	2
		Total	71	20	91
19.	Jabalpur	1. Jabalpur	52	10	62
		2. Sehora	5	4	9
		3. Patan	4	3	7
		4. Majholi	3	3	6
		5. Kundam	1	1	2
		6. Shahpura	1	1	2
		7. Katangi	2	1	3
		8. Panagar*	0	2	2
		Total	68	25	93
20.	Jhabua	1. Jhabua	9	3	12
		2. Petlawad	5	2	7
		3. Thandla	4	2	6
		4. Ranapur	2	2	4
		5. Meghnagar	2	1	3
		Total	22	10	32
21.	Katni	1. Katni	9	3	12
		2. Vijayraghogarh	3	3	6
		3. Dhimarkheda	1	2	3
		4. Bahoriband	2	2	4
		5. Rithi	1	2	3
		6. Barwara	2	2	4

1 No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7. Barhi	1	1	2
		Total	19	15	34
22.	Mandla	1. Mandla	9	4	13
		2. Niwas	4	3	7
		3. Nainpur	5	2	7
		4. Bichhiya	2	1	3
		5. Narayanganj *	0	2	2
		6. Ghugari	0	2	2
		Total	20	14	34
23.	Mandsaur	1. Mandsaur	17	3	20
		2. Sitamau	7	2	9
		3. Malhargarh	8	2	10
		4. Garoth	7	1	8
		5. Bhanpura	6	1	7
		6. Suwasra	2	1	3
		7. Shamgarh*	0	2	2
		8. Dalauda*	0	2	2
		Total	47	14	61
24.	Morena	1. Morena	16	3	19
		2. Ambah	6	2	8
		3. Porsa	3	1	4
		4. Sabalgarh	7	1	8
		5. Joura	6	2	8
		6. Kailaras	3	1	4

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Total	41	10	51
25.	Narsinghpur	1. Narsinghpur	9	3	12
		2. Gadarwara	6	3	9
		3. Tendukheda	3	2	5
		4. Kareli	7	2	9
		5. Gotegaon	6	2	8
		Total	31	12	43
26.	Neemuch	1. Neemuch	12	4	16
		2. Manasa	7	2	9
		3. Jawad	8	2	10
		4. Singauli*	0	2	2
		5. Jiran*	0	2	2
		Total	27	12	39
27.	Panna	1. Panna	9	6	15
		2. Pawai	5	2	7
		3. Ajaygarh	5	2	7
		4. Shahnagar	5	2	7
		5. Gunnaor	3	2	5
		6. Repura*	0	2	2
		7. Amanganj *	0	2	2
		8. Devendranagar*	0	2	2
		Total	27	20	47
28.	Raisen	1. Raisen	11	3	14
		2. Gairatgani	5	2	7

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Silwani	4	1	5
		4. Begamgani	4	2	6
		5. Goharganj	6	2	8
		6. Bareli	6	2	8
		7. Udaipura	5	1	6
		8. Badi*	0	2	2
		Total	41	15	56
29.	Rajgarh	1. Rajgarh	7	3	10
		2. Baiora	5	2	7
		3. Narsinghgarh	6	2	8
		4. Jeerapur	3	2	5
		5. Khilchipur	3	2	5
		6. Sarangpur	4	1	5
		Total	28	12	40
30.	Ratlam	1. Ratlam	16	4	20
		2. Jaora	7	2	9
		3. Bajna	3	2	5
		4. Aalot	4	2	6
		5. Sailana	3	2	5
		6. Piploda	3	2	5
		7. Dhodhar	2	1	3
		8. Tal*	2	1	3
		9. Badwada	1	1	2
		10. Rawti*	0	2	2

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Total	41	20	61
31.	Rewa	1. Rewa	21	6	27
		2. Maugani	5	4	9
		3. Hanumana	2	4	6
		4. Teonthar	5	2	7
		5. Sirmour	3	2	5
		6. Gurh	3	2	5
		7. Raipur (Karchuliyari)	3	2	5
		8. Mangawa *	0	2	2
		9. Semariya *	0	2	2
		10. Jawa*	0	2	2
		11. Naigarhi*	0	2	2
			Total	42	30
32.	Sagar	1. Sagar	17	4	21
		2. Khurai	5	3	8
		3. Rehli	4	2	6
		4. Banda	4	2	6
		5. Bina	4	2	6
		6. Deori	4	2	6
		7. Rahatgarh	2	2	4
		8. Garhakota	2	2	4
		9. Kesli.	2	2	4
		10. Malthone *	0	2	2
		11. Shahgarh *	0	2	2

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Total		44	25	69
33.	Satna	1. Satna	13	4	17
		2. Rampur (Baghelan)	4	3	7
		3. Amarpatan	5	2	7
		4. Nagod	4	2	6
		5. Maihar	5	2	7
		6. Ramnagar	3	2	5
		7. Uchehara	2	2	4
		8. Majhgawa	2	1	3
		9. Kothar*	0	2	2
		10. Bisingshpur*	0	2	2
		Total		38	22
34.	Sehore	1. Sehore	16	4	20
		2. Ashta	8	2	10
		3. Nasrullahganj	7	2	9
		4. Budhni	7	2	9
		5. Ichhawar	5	1	6
		6. Rehti *	0	2	2
		7. Shyampur *	0	2	2
		8. Jawar *	0	2	2
	Total		43	17	60
35.	Seoni	1. Seoni	9	4	13
		2. Lakhnadon	5	3	8
		3. Kewlari	3	3	6

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Barghat	3	2	5
		5. Kurai	2	2	4
		6. Chhapara	2	2	4
		7. Ghansaur	2	2	4
		8. Dhanaura*	0	2	2
		Total	26	20	46
36.	Shahdol	1. Sohagpur	8	4	12
		2. Budhar	5	2	7
		3. Jaitpur	4	2	6
		4. Jaisinghnagar	4	2	6
		5. Beohari	4	2	6
		Total	25	12	37
37.	Shajapur	1. Shajapur	8	4	12
		2. Agar	5	3	8
		3. Badod	3	1	4
		4. Sujalpur	6	3	9
		5. Akodiya	2	2	4
		6. Kalapipal	2	1	3
		7. Susner	3	2	5
		8. Nalkheda	3	2	5
		9. Momern Badodiya	2	1	3
		10. Gulana	2	1	3
		Total	36	20	56
38.	Sheopur	1. Sheopur Kalan	10	4	14

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Vijaypur	5	3	8
		3. Karahal	3	2	5
		4. Baroda*	2	2	4
		5. Birpur *	0	2	2
		Total	20	13	33
39.	Shivpuri	1. Shivpuri	17	4	21
		2. Pichhore	8	2	10
		3. Pohri	5	1	6
		4. Kolaras	5	1	6
		5. Karera	6	2	8
		6. Narwar	7	1	8
		7. Khaniyadhana	4	2	6
		8. Badarwas *	0	2	2
		Total	52	15	67
40.	Sidhi	1. Sidhi	10	4	14
		2. Majholi	4	3	7
		3. Kusmi	4	3	7
		4. Sihawal	3	2	5
		5. Rampur Naikin	3	2	5
		6. Churhat	4	1	5
		Total	28	15	43
41.	Tikamgarh	1. Tikamgarh	10	5	15
		2. Baldeogarh	2	2	4
		3. Jatara	4	3	7

No.

No.	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		4. Niwari	5	3	8
		5. Prithvipur	2	2	4
		6. Ticharkala	2	2	4
		7. Palera	2	2	4
		8. Orchha	3	2	5
		9. Khargapur *	0	2	2
		10. Mohangarh *	0	2	2
		Total	30	25	55
42.	Ujjain	1. Ujjain	22	5	27
		2. Khachrod	6	3	9
		3. Badnagar	6	2	8
		4. Tarana	5	1	6
		5. Mahidpur	5	1	6
		6. Ghatiya	4	1	5
		7. Nagda	3	2	5
		Total	51	15	66
43.	Umariya	1. Bandhaogarh	6	4	10
		2. Pali	3	2	5
		3. Manpur	3	2	5
		4. Chandiya *	0	2	2
		5. Naurojabad *	0	2	2
		Total	12	12	24

No:	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44.	Vidisha	1. Vidisha	13	6	19
		2. Basauda	9	2	11
		3. Sironj	5	3	8
		4. Lateri	4	2	6
		5. Kurwai	5	3	8
		6. Nateran	5	2	7
		7. Gyaraspur	4	1	5
		8. Shamshabad *	0	2	2
		9. Tyoda *	0	2	2
		10. Gulabganj *	0	2	2
Total			45	25	70
45.	Khandwa	1. Mandleshwar	6	3	9
		2. Khargone	8	2	10
		3. Segaon	3	2	5
		4. Bhikangaon	5	2	7
		5. Kasrawad	5	2	7
		6. Badwah	6	2	8
		7. Maheshwar	5	3	8
		8. Jhirnya	3	1	4
		9. Bhagwanpura	2	1	3
		10. Gogawan *	0	2	2
Total			43	20	63
46.	Burhanpur	1. Burhanpur	9	4	13
		2. Khaknar	2	3	5

No:	Name of the District	Name of the Tehsil	Present strength	Number of increased posts	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. Nepanagar	3	3	6
		Total	14	10	24
47.	Ashoknagar	1. Ashoknagar	9	3	12
		2. Esagarh	3	1	4
		3. Mungaoli	5	2	7
		4. Chanderi	4	2	6
		5. Shadoura *	0	2	2
		Total	21	10	31
48.	Anuppur	1. Anuppur	7	4	11
		2. Pushprajgarh	4	2	6
		3. Kotma	4	2	6
		4. Jaithari	3	2	5
		Total	18	10	28
49.	Alirajpur	1. Alirajpur	7	4	11
		2. Jobat	5	2	7
		3. Bhavra	2	2	4
		Total	14	8	22
50.	Singroli	1. Singroli	6	4	10
		2. Chitrangi	3	2	5
		3. Devsar	3	2	5
		Total	12	8	20
		Grand Total	1688	812	2500

Note- Kindly peruse this Department Notification on No-17(E)/524/2008 21-B(Two) Published in the MP Gazette dated 30-08-2008 for entry made in column No 4 in respect on the posts.

जे. के. वैद्य, सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्र. 7097-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्दोल.	ग्राम-बिहिरिया ब. न.-417 प.ह.नं.-38.	रकबा 10.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 माईनर एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7098-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	ग्राम-बलपुरा ब. न.-315 प.ह.नं.-96.	रकबा 11.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).
				पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 माईनर एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उलेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7099-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी नहर के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि में स्थित अर्जन से छूटी हुई संपत्ति का अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1.	सिमरिया ब. न. 572 प.ह.न. 113.	कच्चा मकान-1	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि में स्थित मकान जो अर्जन से छूट गया.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 7100-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

- (2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी भाग-1.	ग्राम-परतापुर ब. न.-320 प.ह.नं.-115.	रकबा 0.45 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर नहर क्रमांक 27-L के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7101-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्डोल.	ग्राम-बोरिया ब. न.-439 प.ह.नं.-27.	रकबा 4.50 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माईनर 15-L नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 7102-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. छपारा.	ग्राम-पिपरिया ब. न.-439 प.ह.नं.-40.	रकबा 12.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-3 माईनर एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 7103-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्दोल.	ग्राम-जमुनिया ब. न.-199 प.ह.नं.-22.	रकबा 7.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली D-4 माईनर एवं सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 7104-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्दोल.	ग्राम-चंदौरी कलां. ब. न.-161 प.ह.नं.-04.	रकबा 0.16 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4 चौरई, के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7105-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्डोल.	ग्राम-सापापार ब. न.-551 प.ह.नं.-06.	रकबा 0.12 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7106-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

- (2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्डोल.	ग्राम-बांकी ब. न.-486 प.ह.नं.-09.	रकबा 0.19 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.				
(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.				

क्र. 7107-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्डोल.	ग्राम-मुगंवानी कलां ब. न.-490 प.ह.नं.-34.	रकबा 0.12 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7108-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्डोल.	ग्राम-मुंगवानी खुर्द. ब. न.-491 प.ह.नं.-06.	रकबा 0.38 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7109-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्डोल.	ग्राम-जैतपुरखुर्द ब. न.-217 प.ह.नं.-17	रकबा 0.22 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7110-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्दोल.	ग्राम-दिघोरी ब. न.-11 प.ह.नं.-276.	रकबा 0.20 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7111-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बन्दोल.	ग्राम-बाधी ब. न.-447 प.ह.नं.-11	रकबा 0.17 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 4 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्र. भू-अर्जन 30 (अ-82) 2016-2017-1241.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा

आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	केवलारी म्य बम्हनी प.ह.नं. . . .	94/2 10/2 53 10/1 18/2 29 28/1 25/2 28/2 2 19 24 35/1 35/2 35/4 101/1 35/3 209 26 237 16 211 15 17 18/1 55 94/1 11 30/1 5 8 9 93	0.400 0.400 0.190 0.390 0.800 0.580 0.340 0.550 0.340 1.080 0.320 0.780 0.510 0.500 0.500 0.670 0.920 0.650 0.950 0.220 1.200 0.780 1.420 0.610 0.930 0.700 1.690 1.740 0.800 1.060 0.610 2.300 0.790	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खरमेर जलाशय निर्माण कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			91	2.850		
			54	0.560		
			234	0.340		
			12	1.700		
			95	1.120		
			22	0.420		
			124	0.210		
			60	0.960		
			21	0.320		
			58	1.160		
			56	3.110		
			90/1	0.330		
			229	0.210		
			योग . .	47.230		
		शासकीय भूमि . .		8.460		
		कुल योग . .		55.690		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन 31 (अ-82) 2016-2017-1240.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाघात रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन		अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	साल्हेघोरी	362	0.020	कार्यपालन यंत्री,	खरमेर जलाशय नहर निर्माण
		माल	68/3	0.040	जल संसाधन संभाग,	कार्य.
		प.ह.नं. . . .	63	0.080	डिण्डौरी.	
			68/2	0.080		
			331/5	0.100		
			68/1	0.100		
			135	0.110		
			62	0.160		
			121	0.170		
			156/2	0.170		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			105/7	0.180		
			69/2	0.200		
			156/3	0.220		
			136/1	0.280		
			136/2	0.290		
			104	0.300		
			106	0.310		
			105/5	0.320		
			128	0.320		
			105/4	0.340		
			129	0.380		
			117	0.400		
			118	0.400		
			119	0.400		
			331/3ब	0.400		
			108/1	0.420		
			108/2	0.420		
			155/3	0.050		
			124	0.600		
			170/2	0.610		
			180/1	0.340		
			105/6	0.670		
			105/3	0.670		
			105/1	0.670		
			125	0.420		
			132	0.350		
			126	0.530		
			130	0.240		
			127	0.700		
			134	0.500		
			139	0.270		
			155/1, 192/1	0.380		
			156/1	0.750		
			155/2	0.260		
			140	0.500		
			141	0.340		
			151	0.400		
			153	0.500		
			137	0.680		
			138	0.220		
			133	0.920		
			174/1	0.630		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			73	0.820		
			85	0.120		
			352	0.560		
			177	1.000		
			103/2	0.200		
			110/2	0.410		
			353	0.550		
			174/2	0.640		
			95	0.120		
			164	0.070		
			168	0.330		
			228, 354	0.640		
			170/1	1.230		
			103/1	0.210		
			110/1	0.410		
			113	0.080		
			98	0.240		
			167	0.340		
			105/2	1.270		
			178	0.680		
			89	0.120		
			162	0.050		
			166	0.350		
			96	0.230		
			169	0.390		
			329	1.090		
			176	0.700		
			179	0.210		
			70	0.250		
			74/2	1.000		
			227	0.180		
			87	1.280		
			99	1.520		
			175	1.600		
			102	0.990		
			152	1.700		
			109	0.900		
			115	0.040		
			142	0.170		
			146	0.480		
			86	1.020		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			88	0.450		
			69/1	0.140		
			75	0.090		
			76	0.280		
			100	1.910		
			160	0.640		
			171	0.970		
			184	0.300		
			333	0.520		
			111	1.980		
			122	0.140		
			143	0.180		
			149	0.380		
			150	0.470		
			158	0.400		
			161	0.540		
			159	0.700		
			172	1.010		
			173	1.010		
			226	1.120		
			154	3.870		
			योग . .	59.920		
			शासकीय भूमि . .	3.730		
			कुल योग . .	63.650		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन 32 (अ-82) 2016-2017-1239.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरु किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची						
भूमि का वर्णन			निर्माण कार्य एजेंसी		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	उमरिया रै. प.ह.नं.	202 423/4 404 451	0.040 0.100 0.080 0.130	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खरमेर जलाशय बांध निर्माण कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			8	0.140		
			151/2/2	0.200		
			452	0.200		
			183/3	0.110		
			411/2	0.100		
			137	0.230		
			482/1	0.320		
			131	0.210		
			156	0.340		
			179	0.340		
			434/2	0.180		
			44	0.390		
			465	0.390		
			124	0.390		
			48/4	0.400		
			17/2	0.400		
			143	0.400		
			136/5	0.400		
			73/3	0.400		
			32/2	0.400		
			528/2	0.180		
			441	0.400		
			548	0.330		
			556	0.420		
			559	0.450		
			486	0.450		
			36/2	0.130		
			36/3	0.400		
			86	0.450		
			28	0.480		
			101	0.510		
			48/1	0.520		
			423/3	0.100		
			423/2	0.100		
			108	0.540		
			430	0.220		
			75	0.460		
			472	0.560		
			22	0.400		
			48/3	0.600		
			47/2	0.600		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			136/4	0.600		
			140/1	0.600		
			3/2	0.600		
			144	0.420		
			36/1	0.280		
			463	0.670		
			464	0.670		
			488	0.320		
			442	0.690		
			189/3	0.220		
			105	0.700		
			53	0.700		
			448	0.740		
			383/2	0.800		
			23/2	0.800		
			109/3	0.200		
			507, 547	0.250		
			153	0.800		
			160	0.800		
			480/1	0.870		
			436/1	0.910		
			63	0.930		
			103	0.630		
			177	0.330		
			100	0.630		
			176	0.330		
			99	0.630		
			178	0.180		
			184/1	0.870		
			148	0.970		
			150	0.980		
			34	0.980		
			6	0.470		
			18	0.510		
			127	0.600		
			447	0.740		
			47/3	0.400		
			173	0.430		
			61	0.460		
			555	0.270		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			403	0.240		
			79	1.060		
			41	0.960		
			104/1	1.080		
			109/2	0.190		
			426/2	0.340		
			462	1.160		
			467	1.200		
			113	1.200		
			73/2	1.200		
			21	0.810		
			132	0.300		
			38	0.820		
			175	0.400		
			87	1.070		
			460	1.120		
			96	0.270		
			106	0.560		
			185/1	0.390		
			466	1.300		
			32/1	1.300		
			402	0.290		
			189/2	0.370		
			487	0.550		
			437	1.330		
			457/1	0.600		
			500/1	0.730		
			457/2	0.600		
			500/2	0.730		
			469	1.350		
			520	0.850		
			51	0.400		
			152	0.940		
			432	1.005		
			522	0.420		
			530	0.490		
			73/1	1.400		
			85	0.840		
			439	0.360		
			414	1.440		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			497	0.760		
			92	1.490		
			43/2	0.260		
			89/2	0.100		
			139/2	0.63		
			372	1.440		
			70	0.830		
			494	1.064		
			48/2	1.520		
			97	0.280		
			107	0.570		
			125	0.080		
			449	0.780		
			59	1.240		
			16	1.590		
			90	0.230		
			91	1.380		
			158	1.610		
			435/1	1.600		
			23/1	1.650		
			26/2	0.690		
			523	0.280		
			476/1	1.760		
			508	0.520		
			133, 471	0.470		
			383/1	0.700		
			485/1	1.820		
			29/2	1.56		
			47/4	0.21		
			109/1	0.190		
			427/2	0.420		
			29/1	1.570		
			47/1	0.210		
			126	1.530		
			412	0.360		
			11	1.900		
			385	0.200		
			165	1.750		
			459, 477	0.960		
			368	1.260		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			35	1.130		
			66	0.260		
			169	0.500		
			33	1.120		
			65	0.260		
			161	0.500		
			407	1.280		
			406	1.024		
			13	2.170		
			149	1.460		
			405	0.290		
			366	1.330		
			367	0.980		
			461	0.610		
			470	1.640		
			501	1.260		
			528/1	0.190		
			172	2.250		
			69	0.600		
			118	0.770		
			14	2.260		
			39	2.290		
			521	0.320		
			446	2.300		
			130, 163	0.570		
			3/1	1.320		
			15	1.040		
			50/2	0.170		
			76/2	2.160		
			154	1.240		
			50/1	0.180		
			76/1	2.160		
			401	0.500		
			78	1.100		
			88	0.900		
			129	0.340		
			17/1	0.880		
			31	1.590		
			4	2.220		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			7	0.260		
			19	2.490		
			489	0.200		
			74	2.260		
			531	1.280		
			119	0.890		
			110	2.090		
			138	0.420		
			411/1	0.100		
			83/1	0.870		
			94/1	1.100		
			438/1	0.630		
			83/2	0.870		
			94/2	1.100		
			438/2	0.640		
			496	0.350		
			525	2.230		
			12	2.020		
			25	0.810		
			52	1.820		
			54	1.320		
			365	0.658		
			524	1.320		
			5	2.440		
			10	0.510		
			40	0.120		
			122	0.280		
			418	1.100		
			9	2.170		
			431	0.840		
			30	0.400		
			71	1.560		
			102	0.340		
			121	0.170		
			164	0.000		
			444	0.000		
			62	2.160		
			135	0.650		
			257	0.350		
			484	2.310		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			182	0.850		
			443	1.720		
			95	0.480		
			141/1	0.280		
			450	0.920		
			57	0.830		
			117/1	0.670		
			454	1.500		
			468	0.400		
			42	1.100		
			93	0.97		
			551	1.130		
			114/1	1.390		
			157	0.380		
			170	0.600		
			181	1.880		
			421	1.340		
			2	0.340		
			27	0.960		
			55	1.140		
			68	0.880		
			98	0.530		
			58/1	0.560		
			82/1	0.730		
			151/1	1.060		
			415	1.440		
			428	1.350		
			479/1	2.730		
			128	0.080		
			147/1	0.920		
			167	2.200		
			171	0.860		
			26/1	0.700		
			37	0.820		
			60	0.940		
			142/1	1.610		
			162	0.250		
			43/1	0.790		
			89/1	0.310		
			139/1	1.910		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			277/1	1.090		
			80	1.240		
			123	0.690		
			58/2	0.560		
			82/2	0.740		
			151/2/1			
			433/1	1.280		
			541	0.12		
			194/1	1.450		
			413/1	2.840		
			64	1.020		
			72	0.270		
			115/1	0.820		
			136/1	1.540		
			159	0.660		
			410	2.040		
			योग . .	248.691		
			शासकीय भूमि . .	22.575		
			कुल योग . .	271.266		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन 33 (अ-82) 2016-2017-1238.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	साल्हेघोरी रैयत प.ह.नं.	14/1 102 125 26/3 69/6 15/1	0.050 0.060 0.100 0.120 0.160 0.160	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खरमेर जलाशय नहर निर्माण कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			15/2	0.170		
			15/3	0.170		
			15/4	0.170		
			15/5	0.170		
			15/6	0.170		
			16/4	0.190		
			83/2	0.200		
			88/2	0.200		
			69/2	0.200		
			74/2	0.200		
			76/1/2	0.200		
			76/2	0.200		
			12/2	0.200		
			12/3	0.200		
			12/4	0.200		
			16/2	0.210		
			45/1	0.220		
			127	0.100		
			34/3	0.250		
			34/4	0.250		
			34/5	0.250		
			34/2	0.280		
			129	0.130		
			75/1	0.300		
			13/2	0.300		
			115	0.200		
			118	0.040		
			123/2	0.320		
			24/2	0.340		
			24/4	0.340		
			4	0.360		
			33/1	0.380		
			33/2	0.380		
			96	0.380		
			10/2	0.390		
			6	0.400		
			69/7	0.400		
			23	0.400		
			69/3	0.400		
			69/4	0.400		
			69/5	0.400		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			46/1	0.400		
			44	0.400		
			90/2	0.400		
			95	0.400		
			43/2	0.400		
			28/2	0.400		
			89/2	0.400		
			83/3	0.400		
			81/2	0.100		
			84/2	0.120		
			146/1	0.280		
			146/2	0.450		
			26/4	0.470		
			26/2	0.470		
			40/2	0.500		
			24/3	0.500		
			123/3	0.500		
			7	0.530		
			75/3	0.560		
			16/3	0.200		
			16/5	0.390		
			75/2	0.630		
			83/1	0.490		
			132/1	0.670		
			132/2	0.680		
			64/2	0.180		
			78/2	0.520		
			65/2	0.200		
			77/2	0.500		
			64/1	0.170		
			78/1	0.530		
			65/1	0.200		
			77/1	0.510		
			123/1	0.730		
			9	0.800		
			14/2	0.800		
			121	0.820		
			27/2	0.820		
			71	0.890		
			139/2	0.200		
			105/2	0.210		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			106/2	0.050		
			37	0.900		
			105/1	0.210		
			106/1	0.050		
			98	0.470		
			66/3	0.980		
			94	0.980		
			16/1/1	0.980		
			119	1.000		
			85	0.640		
			47	0.410		
			55	1.040		
			126	0.190		
			35	1.060		
			36	1.090		
			89/1	1.130		
			86	0.640		
			22/2	0.910		
			101/2	0.320		
			22/3	0.920		
			101/1	0.320		
			66/2	1.250		
			72	1.250		
			5/3	1.250		
			5/1	1.260		
			14/3	0.080		
			66/1	1.260		
			24/5	0.130		
			24/6	0.620		
			25/2	0.130		
			25/3	0.130		
			25/4	0.130		
			25/5	0.130		
			81/1	1.280		
			29	1.360		
			90/1	1.370		
			122/1	0.230		
			137/1	0.240		
			2	1.450		
			24/1	1.160		
			25/1	0.300		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			120	1.010		
			31	1.480		
			84/1	1.520		
			19	1.530		
			92	1.300		
			117	0.250		
			27/1/1	1.640		
			79	1.700		
			41	1.720		
			73	1.740		
			34/1	1.750		
			12/1	1.860		
			8/1	0.790		
			17/1	0.930		
			38/1	0.210		
			122/2	0.820		
			137/2	1.110		
			93	1.930		
			28/1	0.660		
			57	1.020		
			8/2	0.800		
			17/2	0.930		
			38/2	0.210		
			8/3	0.800		
			17/3	0.930		
			38/3	0.220		
			18/2	0.600		
			42/2	1.520		
			22/1	0.910		
			100	0.460		
			101/3	0.320		
			134	0.220		
			43/1	2.340		
			5/2	2.460		
			11	0.930		
			52	1.170		
			60	1.320		
			18/1	1.030		
			42/1	1.510		
			59	2.620		
			49	1.950		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			61	2.810		
			58	1.010		
			62	1.290		
			131	0.500		
			20	0.890		
			48	1.940		
			56	1.240		
			74/1	1.070		
			82	0.790		
			54	1.680		
			63	0.720		
			99	0.470		
			30	1.020		
			88/1	0.320		
			21	1.490		
			51	1.670		
			97	0.470		
			50/1	0.750		
			80/1	1.290		
			138/1	1.730		
			80/2	1.460		
			138/2	1.730		
			69	1.480		
			69/1	1.400		
			114	0.210		
			40/1	0.510		
			10/1	0.490		
			26/1	2.350		
			योग . .	137.960		
		शासकीय भूमि . .		9.820		
		कुल योग . .		147.780		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 34 (अ-82) 2016-2017-1237.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाघात रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार

सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	मोहगाँव रैयत प.ह.नं.	528 596/2 596/1 585 551 372 649/3 584/2 588 652 659/1 659/2 594 520 667 648/2 648/2 523/2 659/3 649/1 663/1 649/2 663/2 565 595 592 510 665 657 660 590 366 526 586	0.230 0.380 0.380 0.600 0.730 0.080 0.410 1.200 1.280 0.620 0.490 0.490 1.380 0.280 1.370 1.430 1.430 0.410 0.490 0.400 0.390 0.410 0.390 1.340 1.170 0.540 0.840 0.570 0.990 1.350 0.650 0.540 1.350 2.710	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खरमेर जलाशय नहर निर्माण कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			666	2.740		
			601	0.450		
			523/1	3.000		
			503	0.900		
			511	0.380		
			368	1.540		
			512	0.300		
			515	1.090		
			516	1.260		
			525	0.440		
			367	0.720		
			593	1.780		
			662	2.230		
			522	0.550		
			587	2.280		
			661	2.180		
			योग . .	48.260		
		शासकीय भूमि . .		3.050		
		कुल योग . .		51.310		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 35 (अ-82) 2016-2017-1235.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	अडई रैयत प.ह.नं. . . .	192	0.008	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खरमेर जलाशय निर्माण कार्य.
			72	0.100		
			60	0.170		
			84	0.030		
			153/2	0.310		
			52/2	0.360		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			74	0.360		
			80	0.360		
			149	0.190		
			50	0.400		
			31	0.500		
			78	0.140		
			174	0.490		
			167/1	0.580		
			44	0.250		
			93/1	0.370		
			89/1	0.790		
			167/1/2	0.800		
			163/4	0.280		
			163/2	0.270		
			48	0.400		
			167/2	0.980		
			73	0.140		
			43	0.200		
			163/3	0.270		
			85	1.130		
			53	0.190		
			92/1	0.350		
			90	1.280		
			22	1.420		
			83	0.270		
			29	0.540		
			184	1.650		
			158	1.660		
			168	1.670		
			25	1.170		
			88	0.170		
			154	1.400		
			104	0.700		
			191	0.880		
			26	1.650		
			176	0.187		
			98	2.320		
			111	2.720		
			112	1.400		
			134	0.800		
			156	2.820		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			3	0.380		
			105	3.000		
			155	1.220		
			51	0.630		
			75	0.120		
			63	0.430		
			61	0.150		
			17	0.330		
			102	4.130		
			169	1.700		
			15	0.140		
			54	0.220		
			107	1.260		
			8	0.580		
			153/1	0.320		
			6	0.670		
			28	1.590		
			99	6.770		
			62	0.250		
			16	1.690		
			77	0.100		
			106	1.440		
			1	0.990		
			10	2.010		
			79	0.260		
			97	0.710		
			154	1.400		
			189	0.790		
			योग . .	54.005		
		शासकीय भूमि . .		18.940		
		कुल योग . .		72.945		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन 36 (अ-82) 2016-2017-1236.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार

सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

		भूमि का वर्णन		अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
डिण्डौरी	डिण्डौरी	डुगरिया रै. प.ह.नं. . . .	353/2	0.005	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खरमेर जलाशय के नहर निर्माण कार्य.	
			351/1	0.008			
			352/2	0.010			
			363/2	0.010			
			362/2	0.020			
			360/2	0.030			
			361/2	0.040			
			353/3	0.040			
			280/2	0.004			
			352/1	0.070			
			358/2	0.090			
			118/4	0.100			
			317	0.068			
			363	0.160			
			351/2	0.190			
			367/3	0.190			
			142/3	0.200			
			350	0.200			
			280/3	0.200			
			320	0.210			
			362/1	0.220			
			324	0.230			
			319	0.230			
			326	0.250			
			362	0.270			
			133/1	0.330			
			151	0.310			
			394	0.110			
			334	0.370			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			143	0.390		
			358/1	0.390		
			358	0.400		
			353	0.400		
			354	0.400		
			356	0.400		
			142/2	0.400		
			141/2	0.400		
			137	0.140		
			147	0.090		
			148	0.070		
			328	0.600		
			369	0.210		
			360	0.720		
			347/2	0.370		
			347/1	0.370		
			347/3	0.360		
			133/2	0.320		
			386	0.670		
			361/1	0.760		
			352	0.800		
			357	0.800		
			325	0.800		
			487/2	0.810		
			487/1	0.820		
			118/2	0.130		
			284/1	0.160		
			359	0.960		
			142/1	1.050		
			374	0.200		
			139	0.880		
			129/3	0.210		
			129/1	0.220		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			129/2	0.220		
			372	0.300		
			373	0.320		
			364	0.460		
			355	0.400		
			284/2	0.070		
			329	0.079		
			370	0.210		
			368	0.200		
			367/4	0.170		
			383	0.200		
			331	0.690		
			367/2	0.170		
			483	0.520		
			485	1.120		
			393/3	0.100		
			388	0.380		
			367/1	0.800		
			138	2.320		
			140	0.570		
			475	0.890		
			132	1.350		
			128	2.420		
			131	1.860		
			135	1.270		
			385	0.670		
			150	0.320		
			384	0.620		
			योग . .	30.304		
			शासकीय भूमि . .	11.068		
			कुल योग . .	41.372		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन 37 (अ-82) 2016-2017-1234.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भू-अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	खाम्ही रै. प.ह.नं. . . .	209 603 144 203 35 114 58/2 664 230 19 128 131 121/3 284 23/2 8/2 8/3 8/4 746/1 30 726 31 54 132 57 53	0.140 0.200 0.200 0.080 0.280 0.300 0.100 0.330 0.350 0.045 0.250 0.280 0.210 0.400 0.400 0.400 0.400 0.310 0.330 0.470 0.480 0.300 0.500 0.400 0.350	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खरमेर जलाशय निर्माण कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			90	0.550		
			118	0.490		
			98	0.560		
			108	0.590		
			99	0.600		
			231	0.320		
			665/4	0.210		
			276	0.210		
			215	0.610		
			282	0.610		
			18	0.380		
			24	0.250		
			50	0.290		
			160	0.280		
			20	0.080		
			102	0.740		
			9	0.330		
			10	0.210		
			37	0.230		
			601	0.260		
			51	0.290		
			52	0.300		
			122/2	0.300		
			723/2	0.800		
			281	0.810		
			730	0.820		
			220	0.190		
			49	0.220		
			103	0.210		
			43	0.850		
			101	0.880		
			277	0.250		
			3	0.560		
			150	0.140		
			129	0.360		
			100	0.630		
			375/1	0.330		
			89	0.097		
			33	0.540		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			113	0.400		
			7	0.300		
			62	0.220		
			94	0.470		
			736	1.060		
			25	1.070		
			27/1	0.510		
			32	0.560		
			194	0.680		
			278	0.270		
			662	0.340		
			23/1	0.620		
			6	0.340		
			91	0.400		
			93	0.400		
			621	0.160		
			587	0.340		
			594	0.210		
			34	0.410		
			97	0.360		
			130	0.260		
			65	0.420		
			213	0.870		
			746/2	0.150		
			4	1.260		
			105	0.400		
			22	1.360		
			61	0.970		
			42	0.950		
			143	0.440		
			11	1.040		
			104	0.400		
			603/1	0.190		
			279	0.570		
			28/1	0.960		
			709	0.070		
			710	0.140		
			48	0.260		
			136	0.220		
			17/1	1.200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			216	0.130		
			202	0.650		
			5	0.360		
			29	0.280		
			36	0.350		
			63	0.200		
			64	0.240		
			15	1.130		
			40	0.310		
			158	0.024		
			85	0.850		
			14	0.870		
			39	0.300		
			138	0.300		
			750	0.760		
			199	0.410		
			58/1	1.880		
			115	1.640		
			55	0.300		
			106	1.050		
			45/1	0.260		
			134	0.250		
			135	0.300		
			16	1.180		
			140	0.220		
			287	0.340		
			734	0.580		
			232/2	0.380		
			13	0.830		
			41	0.300		
			112	0.300		
			151	0.300		
			159	0.750		
			44/1	0.780		
			107/1	0.970		
			127	1.090		
			711	0.900		
			291	0.450		
			591	0.200		
			592	0.350		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			604	1.070		
			717	0.790		
			752	0.460		
			294	0.250		
			749	0.840		
			46	0.270		
			137	0.730		
			719	0.800		
			21	2.100		
			720	0.950		
			753	0.720		
			26/1	2.540		
			707	0.150		
			117	0.280		
			67	0.031		
			124/1	0.150		
			125	0.210		
			126	0.270		
			292	0.370		
			590	0.420		
			755	0.620		
			92	0.540		
			119	0.910		
			123/1	1.360		
			139	0.160		
			2	3.500		
			286	2.030		
			745	0.260		
			725	0.940		
			116	0.290		
			120	0.230		
			201	1.340		
			741	0.570		
			121/1	0.300		
			8/1	6.110		
			योग . . .	<u>107.482</u>		
			शासकीय भूमि . . .	<u>28.530</u>		
			कुल योग . . .	<u>136.012</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 29 जुलाई 2016

पत्र क्र. 1790-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—मुर्तला कोठार
(घ) क्षेत्रफल—0.010 हेक्टेयर.

अ. निजी भूमि

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(ब) म. प्र. शासन की भूमि	
317	0.010
0	0
अ + ब का योग :	<u>0.010</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिहावल नहर के अन्तर्गत शिवराजपुर सब-माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2016

पत्र क्र. 1959-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—चिल्ला
(घ) क्षेत्रफल—0.352 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
154	0.030	-
157	0.056	-
158	0.048	-
160	0.098	-
161	0.031	-
168	0.088	-
कुल योग . .		<u>0.352</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1961-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर

- (ग) ग्राम—अमांव
(घ) क्षेत्रफल—0.900 हेक्टेयर.

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
227	0.028	-
231	0.026	-
232	0.030	-
233	0.030	-
349	0.014	-
351	0.010	-
352	0.074	-
353	0.328	-
354	0.008	-
355	0.066	-
358	0.028	-
359	0.020	-
361	0.020	-
363	0.020	-
364	0.028	-
367	0.014	-
368	0.028	-
369	0.012	-
370	0.020	-
381	0.022	-
383	0.014	-
386	0.026	-
387	0.034	-
कुल योग . .	0.900	

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—परवा
(घ) क्षेत्रफल—0.562 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
150	0.082	-
165	0.020	-
169	0.033	-
171	0.020	-
172	0.020	-
173	0.099	-
174	0.026	-
175	0.070	-
176	0.028	-
177	0.060	-
178	0.038	-
179	0.034	-
181	0.019	-
182	0.013	-
कुल योग . .	0.562	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1963-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा

पत्र क्र. 2001-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—देवरी कोठार 269
(घ) क्षेत्रफल—0.727 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

124	0.002	-
125	0.059	-
126	0.067	-
127	0.014	-
128	0.026	-
139	0.134	-
140	0.052	-
141	0.020	-
142	0.014	-
143	0.024	-
146	0.033	-
147	0.113	-
148	0.048	-
149	0.012	-
151	0.013	-
152	0.067	-

योग . . . 0.698

(ब) शासकीय भूमि

122	-	0.010
150	-	0.019
योग . . .		0.029
महायोग . . .		0.727

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “टमस मुख्य नहर की माइनर नहर के निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2003-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—मदरी कोठार
(घ) क्षेत्रफल—0.586 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

551/2	0.140	-
503	0.040	-
509	0.089	-
549	0.088	-
607	0.003	-
613	0.024	-
746	0.202	-
योग . . .	0.586	

(ब) शासकीय भूमि

-	निरंक
महायोग . . .	0.586

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “टमस मुख्य नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. 379-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—जोवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.934 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
480/2	0.046
471/611	0.888
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>0.934</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध डूब क्षेत्र नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 380-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर

- (ग) नगर/ग्राम—बन्दरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.449 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
121/2	0.042
122/2	0.407
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>0.449</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध डूब क्षेत्र नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 381-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—टीकर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.632 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर (1)	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में) (2)
423/3	0.632
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	<u>0.632</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध डूब क्षेत्र नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 382-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन

के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) नगर/ग्राम—दतवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.626 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
39/1	0.405
44/1ग/1	0.101
45/1	0.060
45/2	0.060
निजी खाता भूमि योग रकबा . . .	<u>0.626</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 383-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) नगर/ग्राम—बाबूपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.242 हेक्टर.

खसरा सर्वे नम्बर	अधिग्रहित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
371/3	0.202
352/1ख	0.040
निजी खाता भूमि योग रकबा . . .	<u>0.242</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर बांध नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.